''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना ''

''हर घर में नल
हर नल में जल''

मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों हेतु पेयजल योजना

मध्यप्रदेश शासन

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

1. पृष्ठभूमि :

वर्तमान परिदृश्य में बढते शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरों की अधोसंरचना व्यवस्था पर अत्याधिक दबाव पड़ रहा है। प्रदेश तथा देशभर में पेयजल की समस्या एक प्रमुख चुनौती बन कर उभर रही है। अधिकांश नगरीय निकाय अल्प वर्षा अथवा पेयजल स्त्रोत की कमी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। यद्यपि नगरीय निकायों द्वारा आपात स्थिति में परिवहन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाती है। परन्तु परिवहन व्यवस्था द्वारा की गई आपूर्ति एक अस्थाई तथा अपर्याप्त प्रयास रहता है। प्रदेश में 360 नगरीय निकाय हैं, जिसमें 14 नगर निगम, 96 नगरपालिका परिषद तथा 250 नगर परिषद् है। विगत ग्रीष्म ऋतु में 94 नगरीय निकायों में एक दिन छोड़कर, 50 नगरीय निकायों में दो दिन छोड़कर तथा 40 नगरीय निकायों में तीन दिन या उससे अधिक दिन छोड़कर जलप्रदाय किया गया । जून 2011 की स्थिति में म.प्र. के नगरीय निकायों में पेयजल व्यवस्था का परिदृश्य निम्नानुसार है :–

कुल शहर	जलप्रदाय की स्थिति			
	प्रतिदिन	1 दिन छोड़कर	2 दिन छोड़कर	3 या अधिक दिन छोड़कर
360	176	97	47	40

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में जलप्रदाय की स्थिति असंतोषजनक है। प्रदेश के आधे से अधिक नगरीय निकायों द्वारा प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति नही की जा रही है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि पेयजल समस्या का स्वरुप अत्याधिक गंभीर है एवं यदि इस दिशा में उचित कदम नही उठाये गये तो स्थिति अधिक भयावह हो सकती है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के अन्तर्गत शहरी पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रदेश के सभी नगरों में बेहतर पेयजल व्यवस्था बहाल करने एवं मौजूदा पेयजल योजनाओं के यथाशीघ्र क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा **''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना''** प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।

2. अवधारणा :

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' प्रमुख रुप से प्रदेश के उन नगरीय क्षेत्रो हेतु लक्षित है जो विगत वर्षो से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं अथवा ऐसे निकाय जिनमें जल आवर्धन योजनाओं का क्रियान्वयन राशि की कमी के कारण लंबित है। योजना अंतर्गत म.प्र. शासन का यह प्रयास है कि प्रदेश के सभी नगरों की पेयजल योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन किया जा सके।

2.1 उद्देश्य

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

- मध्यप्रदेश के सभी शहरों में मानक अनुसार पेयजल उपलब्ध कराना।
- निजी जन भागीदारी योजना अन्तर्गत उपयुक्त योजनाओं का क्रियान्वयन।

2.2 लक्ष्य कथन

''हर घर में नल.....हर नल में जल.....''

3. **योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य**

- स्वीकार योग्य – नवीन पेयजल योजनाओं हेतु वित्तपोषण एवं पूर्व से क्रियान्वयनरत् योजनाएं जिनमें शासन से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
- अस्वीकार योग्य – पेयजल संबंधित कार्यो को छोड़ अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य।

4. योजना की अवधि

- प्रारंभिक तौर पर यह योजना 10 वर्षो के लिये प्रस्तावित है।

5. योजना का दायरा

- योजनान्तर्गत म.प्र. के सभी नगरीय क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद्) शामिल रहेंगे। भविष्य में घोषित/अधिसूचित होने वाले नगरीय क्षेत्रों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

6. रणनीति

6.1 योजनान्तर्गत रणनीति दो भागों में विभाजित है।

6.1.1. अपूर्ण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन : योजना के प्रथम पहलू के अंतर्गत केन्द्र शासन/राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत निकायों की वे योजनाएं जिनका क्रियान्वयन लागत वृद्धि के कारण लंबित है, उन्हे पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जावेगी। इस हेतु म.प्र. शासन द्वारा अनुदान के रुप में निकायों हेतु वित्तपोषण व्यवस्था की जायेगी।

6.1.2. नवीन पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन : नवीन पेयजल योजनाओं हेतु नगरीय निकायों को जल आपूर्ति आदि कार्यो हेतु पूर्व से दिये जा रहे अनुदान के अतिरिक्त एक विशेष मद स्थापित किया जायेगा एवं जन निजी भागीदारी जैस विकल्पों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

उपरोक्त दोनों रणनीतियों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :–

6.1.3 तात्कालिक योजना :– इस वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य के बजट में 200 करोड़ शहरी पेयजल योजनाओं के लिय रखे गये है इसमें से एक मुश्त ग्रान्ट 70 करोड़ काटकर शेष 130 करोड़ इस वित्तीय बजट में प्रावधानित है।

6.1.4 यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अन्तर्गत पेयजल की 31 योजनाओं को पूर्ण करने के लिये 174.30 करोड़ की आवश्यकता है अतः इस वर्ष इन योजनाओं को पूर्ण करने हेतु 30 करोड़ रखा जावेगा।

6.1.5 इस वित्तीय वर्ष की शेष बची राशि 100 करोड़ से 300 करोड़ की योजनाएँ प्रस्तावित की जावेगी। विभाग में जो योजनाएँ प्राप्त है उन्ही की प्राथमिकता तैयार कर योजना स्वीकृत की जायेगी।

6.1.6 31 शहरों की पेयजल योजनाएं/स्वीकृति की प्रक्रिया में है। जिनका सैद्धांतिक रूप से वित्तीय पोषण निर्धारित है। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. की 18 योजनाएं तथा ए.सी.

ए. की 11 योजनाएं एवं 2 शहरों की योजनाएं विभागीय बजट से स्वीकृत है या स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

6.2 दीर्घकालिक योजनाऍं :– प्रदेश के वे नगरीय निकाय जिनमें पेयजल से संबंधित कोई योजना प्रस्तावित अथवा प्रचलित नही है उन की योजनाओं हेतु व्यय का आंकलन किया गया । प्रदेश के ऐसे 293 शहरों में से एक लाख से अधिक की आबादी वाले 11 शहर हैं । एक लाख से कम आबादी वाले 282 शहर है। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की योजना पी.पी.पी. में क्रियान्वित करना प्रस्तावित है तथा एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की आबादी के मान से रू. 2500.00 करोड़ की आवश्यकता आंकलित है। वित्तीय पोषण वित्तीय संस्थाओं से किया जावेगा। विदेशी बैकों के ब्याज एवं राष्ट्रीय बैंको के ब्याज का अन्तर राज्य शासन वहन करेगा।

7 कार्ययोजना

(A) नगरीय निकायों से वर्तमान जलप्रदाय व्यवस्था (Source +Distribution +Supply days) की जानकारी एकत्र कर प्रांरभिक अनुमानित योजना तैयार करना

(B) Status mapping हेतु एजेंसी नियुक्त करना ।

(C) एजेंसी द्वारा वर्तमान जलप्रदाय व्यवस्था का सर्वे, वर्तमान व्यवस्था में सुधार/आवर्धन का आंकलन (आगामी 10 वर्षों हेतु) कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(D) रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार करना
विस्तृत कार्ययोजना के चरण – (Short term & long term)

- (A) पंपिग मशीनरी आदि का सुधार – बदलाव।
- (B) वितरण व्यवस्था में परिवर्तन कर सुधार करना।
- (C) लीकेज/अपव्यय की रोकथाम कर जलप्रदाय की स्थिति सुधारना।
- (D) जल आवर्धन हेतु आवश्यक स्त्रोत का निर्माण/ पुराने स्त्रोत का सुधार, ट्रीटमेंट प्लांट, वितरण प्रणाली आदि अवयवों का निर्माण/ योजना संबंधित निकाय द्वारा बनाई जावेगी।
- (E) चरणबद्व तरीके से कार्ययोजना का क्रियान्वयन।
- (F) IEC (सूचना,संचार, जानकारी) को निकाय द्वारा लागू किया जाना।

7.1 क्रियान्वयन पद्वति

7.1.1 क्रियान्वयन पद्वति को 2 भागों में बॉटा जाना प्रस्तावित हैः–

- **प्रथम भाग–** प्राथमिकता का आधार –
  - (a) एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर जहॉ 3 दिन या अधिक छोड़कर जलप्रदाय किया जाता है।
  - (b) पचास हजार से एक लाख की जनसंख्या वाले जिला मुख्यालया में जहॉ 3 दिन या अधिक छोड़कर जलप्रदाय किया जाता है।
  - (c) धार्मिक महत्व के शहर/पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर ।
  - (d) ऐसे शहर जहॉ 2 दिन छोड़कर जलप्रदाय किया जा रहा है।
  - (e) ऐसे शहर जहॉ 1दिन छोड़कर जलप्रदाय किया जा रहा है।
  - (f) ऐसे शहर जहॉ पाईप वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है।

7.1.2 आवश्यक शहरी सुधार कार्य

a) प्राथमिकता वाले नगरों में भी उन नगरों का चयन किया जायेगा जिनकी सम्पत्ति कर वसूली का प्रतिशत 50 से अधिक हो। इसके अतिरिक्त इन चयनित नगरों हेतु यह आवश्यक होगा कि ये नगर योजना अन्तर्गत

अनुदान प्राप्ति उपरांत अगले 3 वर्षों में 85 प्रतिशत सम्पत्ति कर वसूली करें।

b) राज्य के लिये जल मल नियामक आयोग का गठन किया जा रहा है। इस आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों द्वारा जल कर निर्धारित कर वसूली की जायेगी। आयोग का गठन होने एवं उसकी अनुशंसा प्राप्त होने तक नगरीय निकायों द्वारा बिना लाभ बिना हानि के आधार पर जल कर का निर्धारण कर वसूली करना होगी।

- **दूसरा भाग –** क्रियान्वयन का माडॅल –
  - (a) एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की जलप्रदाय व्यवस्था पी.पी.पी. में किया जाना प्रस्तावित है।
  - (b) एक लाख से कम जनसंख्या वाले ऐसे शहर जो भौगोलिक दृष्टि से पास–पास है (20 किमी की परिधि में) जिनकी कुल जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, की जलप्रदाय व्यवस्था भी ग्रुप स्कीम में पी.पी.पी. में किया जाना प्रस्तावित है।
  - (c) जिला मुख्यालय एवं नगर पालिकाएॅ जिनकी जनसंख्या पचास हजार से एक लाख है उनमें विभागीय बजट एवं निकाय द्वारा अशंदान से।
  - (d) पचास हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में विभागीय बजट एवं निकाय के अंशदान से।

7.2 वित्तीय ढांचा

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' के अंतर्गत विभिन्न शहरों की स्वीकृत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु शासन द्वारा निकायों को अनुदान के रुप में सहायता दी जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय व्यवस्था निकाय की जनसंख्या के मान से उपलब्ध कराई जायेगी।
आबादी के मान से निकायों में वित्तीय ढांचा निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है :–

7.2.1 एक लाख से अधिक की आाबादी वाले शहरों की जल आवर्धन योजनाओं का क्रियान्वयन पी.पी.पी. में किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें 40 प्रतिशत राशि केन्द्र एवं राज्य शासन से तथा जन निजी भागीदारी के अंश के अतिरिक्त शेष व्यय का वहन नगरीय निकाय व्दारा किया जाना प्रस्तावित है।

7.2.2 जिला मुख्यालय एवं नगरपालिका की स्थिति में पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाली निकायों में विभागीय बजट से 80 प्रतिशत तथा निकाय व्दारा अपने वित्तीय संसाधनों से 20 प्रतिशत राशि का वहन किया जावेगा।

7.2.3 50 हजार तक की आबादी वाली नगर पंचायत/नगरपालिका की स्थिति में 90 प्रतिशत राशि राज्य के बजट से तथा शेष 10 प्रतिशत निकाय के बजट से किया जाना प्रस्तावित किया जा सकता है।

7.3 संस्थागत ढांचा

7.3.1. राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण समिति

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' के बेहतर क्रियान्वयन तथा संचालन निगरानी हेतु एक राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का मनोनयन इस प्रकार प्रस्तावित है :–

अध्यक्ष	–	माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन
सदस्य	–	माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन
सदस्य	–	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
सदस्य	–	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन
सदस्य	–	प्रमुख सचिव वित्त विभाग

सदस्य – सचिव, राज्य वित्त आयोग

7.3.2. परियोजना मूल्यांकन स्वीकृति

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' के अंतर्गत विभिन्न शहरों द्वारा तैयार किये जाने वाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के मूल्याकंन एवं तकनीकि स्वीकृति हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

7.3.3. क्रियान्वयन संस्था

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' के अंतर्गत विभिन्न शहरों की स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का होगा। योजना तैयार करने हेतु एवं निकाय स्तर पर संबंधित निर्णय का अधिकार परिषद् का होगा।

परियोजना का प्रशासकीय अनुमोदन म.प्र. नगर पालिका मेयर इन कॉउनसिल/प्रसिडेन्ट इन कॉउनसिल के कामकाज संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य नियम 1998 के अनुसार किया जावेगा।

8. अपेक्षित परिणाम

(a) समयबद्व एवं चरणबद्व तरीके से नगरीय निकायों की जलप्रदाय व्यवस्था का उन्नयन।
(b) प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों को प्रतिदिन एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता ।
(c) निकाय द्वारा पेयजल प्रदाय किय जाने से नगरिकों के स्वास्थ्य में सुधार एवं जलजनित बीमारियों में कमी।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में बजट में प्राप्त रू. 130.00 करोड़ के विरूद्ध उपरोक्तानुसार प्रस्तावित वित्तीय ढांचे पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
प्रदेश में इस बजट में पहली बार पृथक से पेयजल की योजनाओं के लिये बजट प्रावधानित किया गया है। अतः इस योजना को ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' के नाम से नामांकित किया जाना भी प्रस्तावित है।